निर्णय बइजलास के. आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी देवगढजिला राजसमन्द राज0

प्र0 सं0 8/2017 रे0 वाद निर्णय दिनांक –30.04.2018

अनवान

श्री भैरूसिह पिता नाथुसिह जी राजपुत निवासी देवगढ तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0

– वादी

बनाम

1. मोडी पुत्री नारू उर्फ नाहरमल जाति माली निवासी देवगढ जिला राजसमन्द
2. पारसी पुत्री नारू उर्फ नाहरमल जाति माली निवासी देवगढ जिला राजसमन्द
3. भागु पिता नारू उर्फ नाहरमल जाति माली निवासी देवगढ जिला राजसमन्द
4. अणसी पिता नारू उर्फ नाहरमल जाति माली निवासी देवगढ जिला राजसमन्द
5. नाथु पिता श्री रामा जाति माली निवासी खेडीया तह0 आमेट जिला राजसमन्द
6. गोपी पिता श्री रामा जाति माली निवासी खेडीया तह0 आमेट जिला राजसमन्द
7. बाबुलाल पिता श्री रामा जाति माली निवासी खेडीया जिला राजसमन्द
8. भंवरी बाई पिता श्री रामा जाति माली निवासी खेडीया जिला राजसमन्द
9. सोहनी बाई पिता श्री रामा जाति माली निवासी खेडीया जिला राजसमन्द
10. संतु पिता श्री रामा जाति माली निवासी खेडीया तह0 आमेट जिला राजसमन्द
11. कमला पिता श्री रामा जाति माली निवासी खेडीया जिला राजसमन्द
12. लखमा पिता श्री चुना जाति माली निवासी चेता आसन जिला राजसमन्द
13. सुरेश पिता मोडीराम जी जाति महाजन निवासी भीम जिला राजसमन्द
14. प्रकाश पिता मोडीराम जाति महाजन निवासी भीम तह0 भीम जिला राजसमन्द
15. उपपंजीयक महोदय जी देवगढ तह0 देवगढ
16. श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ जरीये राजस्थान सरकार भुमिधारी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88 –188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादी का वाद संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम चेता आसन पटवार सर्कल कामली तह0 देवगढ जिला राजसमन्द की सीमा मे वादी की आराजियात स्थित है जिसके खसरा नं0 60 रकबा 7 विस्वा, खसरा नं0 66 रकबा 4 विस्वा कुल किता 2 रकबा 11 विस्वा भूमि स्थित है एव चाह नं0 55

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

एवं 56 है। उक्त वर्णित आराजियात नाहरमल पिता धुलीराम माली नि0 देवगढ़ के खुदकास्त की स्व अर्जित खातेदारी की भूमि थी जिसमें अन्य कोई भागीदार सरीक नही था स्व. नाहरमल का ही कब्जा काश्त थे। स्व. नाहरमल जी ने अपने सम्पुर्ण हिस्से को मुझ वादी की पत्नि श्रीमति नन्दकंवर को एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 09.06.2009 को बेचान कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था तब से उक्त भूमि कुलिया रकबा 11 विस्वा वादी के कब्जे कास्त है। उक्त वर्णित आराजियात के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 नाहरमल के वारीसान है विक्रय पत्र पंजीयन होने के पश्चात पटवारी हल्का कामली ने नामांतरण सं0 246 से नंद कवंर पत्नि भैरू सिंह के नाम खोलकर मन मकसूद तरीके से तत्काल कानून की पालना नहीं कर विधि विरूद्व नामांतरण को जेर पेन्डींग कर दिया जिसे आज तक भूमि वादी की पत्नि व उसकी मृत्यु के बाद वादी के नाम दर्ज नहीं हुई। बेचान कर्ता खातेदार नाहरमल पिता धुलीराम की मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित आराजी सं0 60 और 66 की सम्पूर्ण आराजी 11 विस्वा एवं चाह नम्बर 55 एवं 56 में से एक दिन का सिंचाई को ओसरे का हिस्सा आराजियात का नामान्तरण दिनांक 8.03. 2016 को नामान्तरण सं0 287 को विरासत से नाहरमल के वारिस प्रतिवादी गण सं0 1 से 4 के नाम एव तत्पश्चात उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 13 व 14 के नाम कालान्तर बिकाव से खोल दिया गया । और प्रति वादी गण का नाम राजस्व रिकार्ड मे बतोर खातेदार दर्ज हो गया। जबकि इस भुमि की वास्तविक मालिक वादी है। जिसके नाम पर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण पास करना था जो नहीं किया गया वादी की पत्नि केता नंद कवंर के नाम पर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी। जो कि दर्ज होने से रह गई है। बेचान कर्ता नाहरमल पिता धुलीराम जी की मृत्यु के पश्चात वाद पत्र में वर्णित आराजियात का नामांतरण उसके वारिसान के नाम पर खोल दिया गया । जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जबकि भूमि के वास्तविक मालिक वादी की पत्नि नंद कंवर है जिसका स्वर्गवास हो चुका है। उसके पश्चात उतराधिकारी के रूप में वादी मालिक है। जिसके नाम पर आराजी सं0 60 व 66 का सम्पूर्ण हिस्सा व चाह नं. 55, 56 में से ओसरा एक एक दिन जो कि नाहरमल पिता धुलीराम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदा था । वह भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए व दर्ज होने से रह गयी। राजस्व रिकार्ड के वाद पत्र में वर्णित आराजी मे जो प्रतिवादी सं. 1 से 14 का नाम जो कि दर्ज है व कानून की जानकारी के अभाव में सेवन से गलत दर्ज हो गया है इनका उक्त आराजीयात सं. 60 व 66 चाह नं0 55 व 56 में से ओसरा एक एक दिन से कोई वास्ता व हक हकूक निहित नहीं है जिसे

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला-राजसमन्द

विलोपीत किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खोतेदार दर्ज किये जाने की घोषणा फरमाई जावें एवं इसी आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बेचान पर आमदा है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण हिस्सा वादी की पत्नि के नाम राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नहीं हो जावे तब तक उक्त भूमि को अन्य किसी को हस्तान्तरण, अन्तरित नही करे एव वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। भूमि के स्वरूप व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। वादी वाद पत्र में वर्णित आराजी सं. 60 व 66 व चाह नम्बर 55 व 56 में से ओसरा एक एक ।देन की भूमि का सम्पूर्ण रकबा अर्थात सम्पूर्ण हिस्से की भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा खातेदार घोषित होने का पूर्ण अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता गोविन्द कंसारा ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी ने बताया की उकत भूमि के सम्बन्ध मे पुर्व मे राजस्व न्यायालय आप मे एक प्रकरण नाहरमल बनाम नाथुलाल प्रकरण सं0 62/16 प्रस्तुत हुआ था उस समय नाहरमल 1/3 हिस्से का खातेदार था शेष भूमि अन्य प्रतिवादीगण की थी। दौराने वाद एव अपील नाहरमल ने अपना सम्पुर्ण हिस्सा नन्दकंवर को विक्रय कर दिया। जब कि उसे अपने स्वतः हक हिस्से अधिक भूमि विक्रय करने का अधिकार नही था दौराने वाद जो विक्रय किया गया वह उसके हक स्वतः हक तक का ही था अधिक विक्रय किया गया वह सम्पति अन्तरण की धारा 52 के तहत शुन्य है वास्तव मे उक्त आराजियात मे नाहरमल का 1/3 हिस्सा एव सहखातेदार दाखु बेवा कानमल की मृत्यु के बाद उसका 1/2 हिस्सा ही बनता है उससे अधिक किये गये विक्रय शुन्य है प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एव जवाब का अवलोकन किया गया राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं0 2 व 4 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं0 13 व 14 को विक्रय कर दिया है उक्त विक्रय पत्र करने का अधिकार प्रतिवादी सं0 1 से 4 को नही था एव वादी की पत्नि के हक मे किया गया विक्रय जो पुर्ववर्ती विक्रय था उसके प्रभाव मे बाद का विक्रय शुन्य व अवैद्य है। वाद पत्र जवाब पत्र एव दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट प्रमाणित है कि वादी की पत्नि ने उक्त भूमि मे नाहरमल का हिस्सा जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदा विक्रय पत्र प्रभाव मे है उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण नही खुला यह भी स्पष्ट है कि किया गया वाद दौराने वाद किया गया है जिससे नाहरमल का उक्त आराजियात मे जो हिस्सा था वही हिस्सा विक्रय करने का अधिकार नाहरमल को था वादी नन्दकंवर का पति होकर वसीयत गृहिता भी है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

अतः वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एव आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज खसरा नं0 60 व 66 कुल किता 2 रकबा 11 विस्वा भूमि व आराजी चाह 55 व 56 माफिक हिस्सा वादी भैरूसिह को 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है एव खाते मे दर्ज नाहरमल के वारीसान प्रतिवादी सं0 1 से 4 एव प्रतिवादी सं0 13 व 14 व बंशीलाल का नाम विलोपित किया जाकर आराजियात खसरा नं0 60 व 66 कुल किता 2 रकबा 11 विस्वा भूमि को वादी भैरूसिह को 1/2 का राजस्व रिकोर्ड मे नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष खातेदार का नाम पुर्व की भाति रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर बेसमढ